गंभीर निंदा के विरुद्ध नए आपराधिक क़ानून

तथ्य-पत्र

पृष्ठभूमि

20 सितंबर 2025 से, दो और गंभीर निंदा अपराधों को नए क़ानून के दायरे में लाया जाएगा।

निंदा को अक्सर द्वेष-पूर्ण बोली या आचरण कहा जाता है। ये वो व्यवहार होता है जो, आप जो हैं उस कारण से आपके विरुद्ध घृणा को प्रोत्साहन देता है। इससे व्यक्तियों तथा संपूर्ण समुदाय दोनों को गहरा नुकसान हो सकता है।

क़ानून में इन नए बदलावों के तहत, दो और अपराधों को *Crimes Act 1958 [अपराध अधिनियम 1958]* में शामिल किया जाएगा। जिसमें द्वेष-पूर्ण बोली या आचरण के केवल अति गंभीर मामले ही शामिल किए जाएँगे।

ये नए क़ानून किसकी रक्षा करेंगे?

ये नए क़ानून कुछ निश्चित विशेषताओं वाले लोगों की द्वेषपूर्ण बोली और आचरण से रक्षा करेंगे। इन क़ानूनों के तहत रक्षित विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

- नस्ल
- धार्मिक आस्था या गतिविधि
- अक्षमता (इसमें HIV, AIDS, या मानसिक रोग भी शामिल है)
- लैंगिक पहचान (इसमें मनोरंजन के उद्देश्य से विपरीत लिंग वाले व्यक्ति का रूप धारण करने वाले कलाकार भी शामिल हैं)
- लिंग (स्त्री/पुरुष या अन्य)
- यौन विशेषताएँ
- यौन रुझान
- किसी रक्षित विशेषता वाले व्यक्ति से निजी सम्बद्धता (चाहे रिश्तेदार के रूप में या किसी अन्य प्रकार से)।

नए दण्डनीय अपराध कौनसे हैं?

दो नए दण्डनीय अपराध हैं:

- **उकसाने का अपराध** और
- **धमकी देने का अपराध**।

उकसाने का अपराध

कोई व्यक्ति यह अपराध तब करता है जब वह कुछ ऐसा कहता या करता है जिससे किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के विरुद्ध, घृणा को, उनकी गंभीर अवमानना को, उनके प्रति आकस्मिक भाव परिवर्तन को या गंभीर उपहास को उकसाया जा सकता है क्योंकि:

- वे किसी रक्षित विशेषता वाले हैं, और
- उस व्यक्ति के व्यवहार का उद्देश्य इन भावनाओं को भड़काना है, या यह मानकर बर्ताव करना है कि इससे शायद ये भावनाएँ भड़क सकती हैं।

यह साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है कि उस व्यवहार के कारण घृणा, गंभीर अवमानना, आकस्मिक भाव परिवर्तन या गंभीर उपहास को शह मिली।

धमकी देने का अपराध

कोई व्यक्ति यह अपराध तब करता है जब वह किसी अन्य व्यक्ति या समूह को शारीरिक नुकसान या संपत्ति को क्षति की धमकी देता है:

- किसी रक्षित विशेषता के कारण, और
- इस उद्देश्य से कि वह व्यक्ति या उस समूह का कोई व्यक्ति ये मान लेगा कि धमकी को पूरा किया जाएगा, या यह मानते हुए कि वे शायद यह भरोसा कर लेंगे कि धमकी को पूरा किया जाएगा।

दोनों ही अपराधों के लिए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस व्यक्ति को रक्षित विशेषता के बारे में सही जानकारी नहीं थी। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति किसी को इसलिए हानि पहुँचाने की धमकी देता है क्योंकि वो सोचता है कि सामने वाला किसी विशेष एथनिक समूह से है, तो उसे चाहे गलत जानकारी हो तो भी वह क़ानून का उल्लंघन कर रहा है।

इन अपराधों के लिए दण्ड क्या हैं?

अधिकतम दण्ड इस प्रकार है:

- उकसाने के अपराध के लिए 3 साल का कारावास
- धमकी देने के अपराध के लिए 5 साल का कारावस।

अधिकतम दण्ड, दिया जा सकने वाला सर्वोच्च दण्ड होता है। मामले के आधार पर, न्यायालय द्वारा ज़ुर्माने या समुदाय-आधारित आदेश भी दिया जा सकता है।

क्या यह अपराध व्यक्तिगत आचरण पर लागू होते हैं?

हाँ। ये अपराध लागू होते हैं चाहे निंदा:

- सार्वजनिक रूप से की गई हो
- व्यक्तिगत रूप से की गई हो
- ऑनलाइन की गई निंदा, इसमें निश्चित लोगों की सदस्यता वाले (क्लोज़्ड) समूहों में या प्राइवेट फोरम पर की गई निंदा भी शामिल है।

क्या ये अपराध राय और मज़ाक को भी विनियमित (नियंत्रित) करते हैं?

इन नए अपराधों से गंभीर, द्वेषपूर्ण आचरण वर्जित हो जाएगा। विक्टोरियाई लोगों की अपनी राय हो सकती है, और वे सभी प्रकार की सूचनाओं और विचारों को खोज सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं और साझा कर सकते हैं।

लेकिन, राय और मज़ाक को इस तरीके से कहना स्वीकार्य नहीं है जिससे घृणा को उकसावा मिले, या लोगों को या संपत्तियों को ख़तरा हो।

क्या ये नए अपराध विक्टोरिया से बाहर भी लागू होते हैं?

यह क़ानून तब लागू होता है जब व्यक्ति के क्रिया-कलाप सीधे विक्टोरिया से जुड़े हों। इसका मतलब यह है कि यह क़ानून लागू होता है:

- विक्टोरिया से बाहर के उन लोगों पर जो विक्टोरिया में किसी अन्य व्यक्ति, समूह या संपत्ति को निशाना बनाते हैं
- विक्टोरिया के उन लोगों पर जो विक्टोरिया से बाहर किसी अन्य व्यक्ति, समूह या संपत्ति को निशाना बनाते हैं।

इन अपराधों पर मुक़दमा कैसे चलाया जाएगा?

किसी व्यक्ति पर इनमें से किसी भी अपराध का मुक़दमा चलाए जाने से पहले लोक अभियोजन निदेशक (डीपीपी) का इस बारे में सहमत होना ज़रूरी है। डीपीपी द्वारा केवल तभी मुक़दमा चलाया जाएगा जब:

- ऐसा करना जनहित में हो, और
- दोषी साबित किए जाने की पर्याप्त संभावना हो।

डीपीपी को सभी परिस्थितियों पर विचार करना अनिवार्य है, जिसमें सामाजिक, साँस्कृतिक और ऐतिहासिक कारक भी शामिल हैं।

इन अपराधों के प्रवर्तन के लिए पुलिस के पास क्या अधिकार हैं?

अगर किसी व्यक्ति का आचरण इन नए क़ानूनों के तहत एक अपराध नज़र आता है तो विक्टोरियाई पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है और उस पर आरोप लगा सकती है।

मैं किसी अपराध की रिपोर्ट कैसे कर सकता हूँ?

गंभीर निंदा की रिपोर्ट करने के लिए, अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन से संपर्क करें या Crime Stoppers [क्राइम स्टोपर्स] को 1800 333 000 पर फ़ोन करें।

अगर आप या कोई अन्य व्यक्ति ख़तरे में है, तो तीन शून्य पर फ़ोन करें।

VICTORIA State Government
Justice and Community Safety